रजिस्ट्रेषन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष – 43 ● अंक – 19 से 21 ● कानपुर 1 से 15 नवम्बर 2021 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

# B.E.M.S. सदैव से ही रही विवादित

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में जारी B.E.M.S. उपाधि प्रारम्भ से ही विवादों के घेरे में रही है, विवाद आज का नहीं है अपितु यह बहुत पुराना है विवाद का एक नमूना " शासनादेश " पाठकों के लिये प्रस्तुत है इसी सम्बन्ध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने एक जनहित याचिका संख्या (W.C.) 4015/96 में पारित आदेश दिनांक 18 नवम्बर, 1998 में स्पष्ट निर्देश दिया है कि B.E.M.S. की डिग्री नहीं दी जा सकती है, विदित हो कि इस याचिका में सुनियोजित ढंग से याची एवं प्रतिवादियों के बीच सांठ–गांठ के तहत B.E.M.S. डिग्री को जारी करते रहने का प्रयास किया गया था माननीय उच्च न्यायालय ने इस साजिश को विफल कर दिया, बात यहीं पर समाप्त नहीं हुयी, इस आदेश में डिग्री जारी करने के लिये बकायदा नियामक एवं प्राधिकारी का भी उल्लेख किया गया है।

आदेश से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि स्वीकृति प्राप्त किये बिना B.E.M.S. की उपाधि जारी नहीं की जा सकती है, ज्ञातव्य हो कि 18 नवम्बर, 1998 के पश्चात जारी B.E.M.S. उपाधियों को किसी भी स्थिति में वैध नहीं ठहराया जा सकता है।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति (I.D.C.) जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिये प्रस्तुत याचनाओं (Proposals) का परीक्षण कर रही है ने भी B.E.M.S. डिग्री जारी करने की व्यवहारिकता पर तीखी प्रतिक्रिया की है तथा नियामक की अनुमति के बिना उपाधि जारी करने का प्रश्न खड़ा किया है अन्तर विभागीय समिति (I.D.C.) ने ऐसा आभास भी दिया है कि मानों B.E.M.S. डिग्री जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन ही नहीं अपितु अवैध रुप से कार्य किया जा रहा है जोकि दण्डनीय भी है।

संख्या–आडिट–1690/दस–91–613111/87

प्रेषक,

श्री एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0, शासन ।

वित्त (लेखा–परीक्षा) अनुभाग लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 1991

विषय: उत्तरा खण्ड शिक्षण संस्थान, देहरादून के किये गये निरीक्षण दिनांक 18–3–88 के संबंध में ।

महोदय, [illegible]

कृपया एन0ई0एच0एम0 आफ इंडिया द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र छात्राओं को बी0ई0एम0एस0 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या यह चिकित्सा शिक्षा संबंधी कार्य नहीं है ? किसी [illegible] संस्था को चिकित्सा विभाग की मान्यता प्राप्त किए बिना चिकित्सा संबंधी शिक्षा कार्य नहीं किया जा सकता है । कृपया इस बिन्दु का परीक्षण कर अपनी आख्या शासन को भेजने की कृपा करें ।

2– इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को न तो भारत सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने मान्यता दी है । अतः उक्त से संबंधित किसी संस्था द्वारा किए जा रहे शिक्षण या प्रशिक्षण कार्य के लिए शासन द्वारा अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता है । होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 1981 के अधिनियम के तहत वर्जित है । उत्तराखण्ड शिक्षण संस्थान के पंजीकरण के समय प्राथमिक चिकित्सा सिखाने या एन0ई0एच0एम0 आफ इण्डिया द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षण [illegible] कार्य के संबंध में पूरी [illegible] जानकारी प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं तो क्यों ? कृपया इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें ।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव ।

# कार्य के लिये पारदर्शिता आवश्यक

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में कार्य की सूच्यता को बनाये रखने के बजाय आज कल घाल–मेल बढ़–चढ़ कर किया जा रहा है जो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जब एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है तो इसमें किसी भी प्रकार के जोड़ की अवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में घाल–मेल करने वाले सम्भवतः आय से अधिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता न होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिससे वह निर्विवाद रुप से कार्य कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी से लाभ उठा सकें एवं उन पद्धतियों का आवरण ओढ़ सकें, यह सिलसिला महाराष्ट्र राज्य से प्रारम्भ होकर दिल्ली तक पहुँच चुका है, इस कार्य में वे लोग लिप्त हैं जो देश के नामचीन संस्था संचालक हैं और इसमें वे लोग भी हैं जो समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

ऐसे कार्य करने वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथी से न तो कोई लाभ उठा सकते हैं और न ही आवरण किये गये कवच से स्वंय को सुरक्षित कर सकते हैं, देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को छोड़कर प्रचलित अधिकांश चिकित्सा पद्धतियां जिनके कवच से सुरक्षित होने का प्रयास किया जा रहा वे सभी चिकित्सा पद्धतियां नियमित/नियंत्रित हैं एवं उनके उल्लंघन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लाभ के बजाय हानि ही हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी यदि स्वतंत्र रुप से अपनायी जाती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वर्तमान समय में कोई भी हानि नहीं हो सकती है बल्कि अद्यतन शासकीय आदेशों से लाभ ही प्राप्त किया जा सकता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता न होना कानूनों के उल्लंघन से परे है क्योंकि देश की सरकारों (केन्द्र एवं राज्य) ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमन की ही बात कही है देश की स्वतंत्रता से लेकर आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रोकने के लिये कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है जहाँ कहीं रोक की बात आयी है वह चिकित्सक/चिकित्सालयों एवं संस्थाओं की कार्य पद्धति से ही उपजी है क्योंकि कुछ पाने के लिये चिकित्सक/चिकित्सालयों एवं संस्थाओं द्वारा सरकार एवं शासन के समक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव रखे गये हैं जो साध्य नहीं हैं प्रस्ताव के निष्कर्ष में जो परिणाम देखने को मिले हैं वहं रोक के रुप में दृष्टिगत हुये हैं, इसके अतिरिक्त सरकार शीर्ष न्यायालय में भी अपना मनतव्य समय समय पर देती रही है जिसके कारण ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनवरत तीव्र गति से संचालित हो रही है, ऐसी स्थिति में इसमें किसी भी प्रकार के घाल–मेल की आवश्यकता नहीं है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो संस्थायें, चिकित्सक / चिकित्सालय पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं वे उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, समय समय पर उन्हें अपनी उपयोगिता एवं वैधानिकता के विषय में शासन/समाज एवं जनसामान्य को अवश्य बताना पड़ता है और इसी बताने से हम जनमान्यता प्राप्त कर सकते हैं यदि हम इसमें कोई घाल–मेल करते हैं तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ साथ अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं, आज कल तो सोशल मीडिया का ज़माना है एक ओर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस साइट का पूरा लाभ जन मानस के लिये कर रहें हैं वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिये इसका दुरुपयोग, देखिये एक बानगी

*It is not clear whether the system of Medicine being followed is Allopathy, AYUSH systems, Electro - Homoeopathy or a mixture of all these.*

## आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला एक मात्र संगठन

**Electro Homoeopathic Medical Association of India**

( An Organization of Electro Homoeopathic Practitioners & Institutions)

Recognised by Government of India Ministry of Heath & Family Welfare

vide order No: C.30011/22/2010-HR Dated 21-06-2011

## A self Regulatory Body

Central Office : C- 617, Nirman Chauk, Madanpur Khadar Extention, NEW DELHI-110076

Adm.Office : 8- Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, LUCKNOW-226001

Head office : 127/204 "S" Juhi, KANPUR-208014

E-mail : ehmaik@gmail.com website- www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

## दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

E-mail : electrohomoeomedicalgazette@gmail.com

website- www.upelectrohomoeopathy.net

# बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8– लालबाग, कमला षर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रधा० कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

## प्रवेश सूचना

**F.M.E.H.** दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

**G.E.H.S.** चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

**P.G.E.H.** दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

**C.E.H.** एक वर्ष – हाई स्कूल अथवा समकक्ष

**A.C.E.H.** एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

## LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

| Code | Name of InstituteAddress & District | Name of Principal | Name of Manager & Mobile No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli | Dr. P. N. Kushwah | Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119 |
| 3 | Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute. Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow | Dr. R. K. Kapoor | Smt. Sunita Kapoor , 9336916076 |
| 4 | Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute. Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh | VACANT | VACANT |
| 5 | Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur | Dr. Pramod Kumar Maurya | Smt. Sushila Maurya , 9451162709 |
| 6 | Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur | Dr. R. K. Sharma | R.K. Sharma , 8115545675 |
| 7 | Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427 | Dr. Ajai Barsaiya | Smt. Rajni Awasthi , 842396191 |
| 11 | Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh | Dr. Mushtaq Ahmad | Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163 |
| 13 | Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki | Dr. Habib-ur- Rahman | Dr. Habib-ur-Rehman, 8052791197 |
| 14 | Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur | VACANT | Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981 |
| 15 | Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmarahah, Near Charkhamba,Shahjahan pur | Dr. Ammar-Bin-Sabir | Dr.S.A. Siddique, 9336034277 |
| 16 | Shahganj Electro Homoeopathic Medical Instute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur | Dr. S. N. Rai | Dr. Rajendra Prasad, 9450088327 |
| 17 | Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddhatth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar | Dr. Ved Prakash Srivastav | Dr. V.P. Srivastav 9415669294 |

## LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

| Code | Head of Centre | Address | District | Mobile No | E-mail |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Dr. Adil M. Khan | Parsauni Kala,Padrauna | KUSHI NAGAR | 9836131988 | WhatsApp No: 7985063850 |
| 52 | Dr. Pradeep Kumar Srivastava | 8/366 Tube Well Colony | DEORIA | 9415826491 | |
| 53 | Dr. Bhoop Raj Shrivastava | 120-Basheerganj | BAHRAICH | 9451786214 | |
| 55 | Dr. Ayaz Ahmad | Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur | MAU | 9305963908 | |
| 56 | Dr. Gaya Prasad | Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi | JALAUN | 8874429538 | |
| 57 | Dr. N. Bhushan Nigam | B.K.E.H. Study Centre, Patkana | HAMIRPUR | 9889426312 | |
| 59 | Dr. Mohammad Israr Khan | Araw Road, Sirsaganj | FIROZABAD | 9634503421 | |
| 60 | Dr. Mohd. Akhlak Khan | 128- Katra Purdal Khan | ETAWAH | 6395361883 | |
| 61 | Dr. Shiv Kumar Pal | Prem Nagar, Dak Banglow Bye Pass Road | FIROZABAD | 9027342885 | |
| 62 | Dr. Pundreek Tripathi | Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa | MAHARAJGANJ | 7398941680 | mpsr31@gmail.com |
| 63 | Dr. Ram Autar Kushwaha | Kushwaha Electro Homoeopathic Clinic & Study centre | KANPUR | 9793261649 | |

## LIST OF AUTHORISED STUDY/GUIDENCE CENTRES OTHER STATE

| Code | Head of Centre | Address | District | Mobile No | E-mail |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Dr. Devendra Singh | 374/4 Shahid Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar | DELHI-110090 | 9873609565 | |
| 82 | Dr. Pankaj Kumar | Kaithi P.S. Chautham | KHAGARIA-851201 | 7549417934 | |

## LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

| Code | Head of Centre | Address | District | Mobile No | E-mail |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Dr. P. K. Ragahav | Khurja | BULAND SHAHAR | 9837897021 | |
| 92 | Dr. S.K. Saxena | Parker College Road | MORADABAD | 8171869605 | |
| 93 | Electro Homoeopathic Exam | Registrar B.E.H.M. U.P. Kanpur Campus | KANPUR | 0512-2970704 | |
| 95 | Dr. Vikas | 303/6 Gyan Nagar, Purkhas Road | SONIPAT-131001 | 9639300426 | 7302653934 |

Registrar

# संयुक्त प्रान्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति विकास संगठन

127/एस/204 डी0, जूही, विनोबा नगर, कानपुर–208014

## उद्देशय

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश संख्या– C.30011/22/2010 HR दिनांक 21 जून, 2011 के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करना

## लक्ष्य

वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सामुदायिक स्तर पर स्थापित करना

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।